

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 34/11 वाद पत्र

उनवान

1-ललितकुमार पिता रमेशचन्द्र व्यास आयु वयस्क नि० संजय कॉलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-मोहन पिता भूरा ब्राह्मण आयु वयस्क नि० नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-मिटु पिता भूरा ब्राह्मण आयु वयस्क नि० नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3-लेहरू पिता भूरा ब्राह्मण आयु वयस्क नि० नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -

2. सुनिल कुमार जैन -

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 27.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नाथड़ियास मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 29.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 से लगायत 3 के संयुक्त खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2023 रकबा 0.19 हे०, 2024 रकबा 0.19 हे०, 2025 रकबा 0.45 हे०, 2026 रकबा 0.39 हे०, 2027 रकबा 0.33 हे० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.55 हे० मे आवागमन के रास्ते का सामलाती छोड़ते हुए वादी का 1/4 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 27.06.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाथड़ियास तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 2023 रकबा 0.19 हे०, आराजी नम्बर 2024/2 रकबा 0.16 हे० कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.35 हे० ललित व्यास पिता रमेशचन्द्र ब्राह्मण नि० सी० 290, रामानुज कोट के पीछे, संजय कॉलोनी भीलवाड़ा खातेदार, आराजी नम्बर 2024/1 रकबा 0.03 हे०, 2025/2 रकबा 0.40 हे०, 2026/2 रकबा 0.36 हे०, 2027/2 रकबा 0.31 हे० मोहन, मीटु, लेहरू पिता भूरा हिस्सा बराबर ब्राह्मण सा० देह खातेदार रहन जी एस एस नाहरी हिस्सा लेहरू पर, आराजी नम्बर 2025/1 रकबा 0.05 हे०

गे0मु0 रास्ता, आराजी नम्बर 2026/1 रकबा 0.03 हे0 गे0मु0 रास्ता, आराजी नम्बर 2027/1 रकबा 0.02 हे0 गे0मु0 रास्ता कुल किता 03 कुल रकबा 0.10 हे0 सामलाती पूर्ववत खाता संख्या 461 के दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)  
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 34/11 वाद पत्र

उनवान

1-ललितकुमार पिता रमेशचन्द्र व्यास आयु वयस्क नि० संजय कॉलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-मोहन पिता भूरा ब्राह्मण आयु वयस्क नि० नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-मिटु पिता भूरा ब्राह्मण आयु वयस्क नि० नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-लेहरू पिता भूरा ब्राह्मण आयु वयस्क नि० नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी द्वारा ग्राम नाथड़ियास तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 2023 रकबा 0.19 हे०, आराजी नम्बर 2024/2 रकबा 0.16 हे० कुल किता 02 कुल रकबा 0.35 हे० ललित व्यास पिता रमेशचन्द्र ब्राह्मण नि० सी० 290, रामानुज कोट के पीछे, संजय कॉलोनी भीलवाड़ा खातेदार, आराजी नम्बर 2024/1 रकबा 0.03 हे०, 2025/2 रकबा 0.40 हे०, 2026/2 रकबा 0.36 हे०, 2027/2 रकबा 0.31 हे० मोहन, मीटु, लेहरू पिता भूरा हिस्सा बराबर ब्राह्मण सा० देह खातेदार रहन जी एस एस नाहरी हिस्सा लेहरू पर, आराजी नम्बर 2025/1 रकबा 0.05 हे० गे०मु० रास्ता, आराजी नम्बर 2026/1 रकबा 0.03 हे० गे०मु० रास्ता, आराजी नम्बर 2027/1 रकबा 0.02 हे० गे०मु० रास्ता कुल किता 03 कुल रकबा 0.10 हे० सामलाती पूर्ववत खाता संख्या 461 के दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 27.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा